

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या- 28/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0अ0
गोविंद पुत्र उंकार जाति दरोगा(राजपुत) आयु बालिग पेशा काश्त निवासी जगपुरा प0ह0
भैंसरोडगढ तह0 रावतभाटा।

विरुद्ध

.....प्रार्थीया

श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला-चित्तौडगढ।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम
अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री भूपेन्द्र पुरोहित।

दिनांक:- 24/03/2022

--:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मौजा ग्राम जगपुरा प0ह0 भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड है। जिसकी खतोनी संख्या 10आराजी न. 174, 175, 177 कुल किता 03 कुल रकबा 1.42 है0 लगानी 14.25 पै0 प्रार्थी के नाम पर सह-खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सह-खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 174, 175, 177 के प्रार्थी के पड़ोसी खातेदारों के बीच आराजी की सीमाओं को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं, पड़ोसी खातेदारों द्वारा प्रार्थी के आराजी के कुछ भाग की हकाई कर देते हैं, साथ ही मेड़ को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, आये दिन झगड़ा होता रहता है जिससे वाद-विवाद की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की सह-खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम जगपुरा प0ह0 भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड है। जिसकी खतोनी संख्या 10आराजी न. 174, 175, 177 कुल किता 03 कुल रकबा 1.42 है0 लगानी 14.25 पै0 प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलासे में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ